[2021] 8 एस. सी. आर 780

कपारो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड

बनाम

उम्मेद सिंह लोदी और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 5829-5830 2021 का)

26 अक्टूबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 9ए के तहत अवैध परिवर्तन के लिए राशि हस्तांतरण आदेश। धारा 9ए प्रतिवादी-अपीलार्थी के देवास कारखाने में मजदूर के रूप में कार्यरत कर्मचारी-चोपांकी में स्थानांतरण का आदेश, जो देवास से 900 किलोमीटर दूर है-स्थानांतरण पर, प्रशिक्षण के बाद, श्रमिकों को पर्यवेक्षक के रूप में काम करना था। औद्योगिक विवाद-श्रम न्यायलय ने पाया कि देवास में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या को कम करने के इरादे से नौ श्रमिकों को देवास से स्थानांतरित किया गया था और ऐसा कार्य आई. डी. अधिनियम की अनुसूची 4 के खंड 11 के अंतर्गत आता था और चूंकि परिवर्तन की कोई सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए स्थानांतरण आदेश धारा 9ए का उल्लंघन कर रहे थे। धाराए श्रम न्यायालय को भी विशेष रूप से सराहना मिली । उच्च न्यायालय के समक्ष-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईः संबंधित श्रमिकों को लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर देवास से चोपांकी स्थानांतरित करने का आदेश। यह आई.डी. अधिनियम की चौथी अनुसूची के साथ पठित धारा 9ए का उल्लंघन था और मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और उत्पीड़क था इस तरह के हस्तांतरण से, "कर्मचारी" के रूप में उनकी स्थिति बदल जाएगी। "पर्यवेक्षक"-इस प्रकार, चोपांकी में उनके स्थानांतरण के बाद और पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के बाद इस तरह के परिवर्तन से वे वंचित हो जाएंगे। आई. डी. अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों और इसलिए, सेवा शर्तों/सेवा की प्रकृति में बदलाव किया जाएगा-श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय के साथ-साथ एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से भी, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता/नियोक्ता देवास से चोपांकी में स्थानांतरण को उचित ठहराने में विफल रहा है, जो 900 किलोमीटर की दूरी पर है। और वह भी उनके सेवा जीवन के अंतिम चरण में-श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा हर पहलू पर विस्तार से विचार किया गया था।

कपारो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। वी. उम्मेद सिंह लोदी

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि संबंधित कामगारों को देवास से चोपांकी स्थानांतरित करने का आदेश मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, उत्पीड़क, अनुचित श्रम व्यवहार और संविधान की धारा 9ए औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन था। साक्ष्य की सराहना पर, विशेष रूप से, डी. डब्ल्यू.-1, डी. डब्ल्यू.-2 के बयान और पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-2 के बयानों पर विचार करते हुए, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संबंधित उत्तरदाता-कर्मचारी मामले में थे। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ओं) के तहत कामगारों की श्रेणी और इसलिए वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत संरक्षण के हकदार थे; कि उन्हें देवास से चोपांकी स्थानांतरित करने से काम में बदलाव होगा और इसलिए सेवा की शर्तों में बदलाव होगा और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की चौथी अनुसूची के खंड 11 के साथ पठित धारा 9ए का उल्लंघन था; कि नौ कर्मचारियों-कामगारों का स्थानांतरण करने से श्रमिकों की संख्या में कमी आएगी।देवास कारखाना; कि देवास में, श्रमिकों को एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता था और सटीक पाइप बनाने का काम किया जाता है जबकि चोपांकी में नट और बोल्ट का निर्माण किया जाता है। श्रम न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर हैं, जिन्हें विकृत और/या अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। यह अभिलेख पर साक्ष्य से सामने आता है कि संबंधित उत्तरदाता-कर्मचारी देवास में कार्यरत थे और 25 से 30 वर्षों से अधिक समय तक देवास में काम कर रहे थे; उन सभी का अचानक और वह भी उनके सेवा जीवन के अंतिम चरण में स्थानांतरण कर दिया गया था; कि जिस स्थान पर उनका स्थानांतरण किया गया था, वहां कोई शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं और जिसका कोई आवासीय क्षेत्र नहीं था। परिवहन का कोई साधन नहीं था। [पैरा 7 और 7.1] [791-ए-एच; 792-ए]

1.2 स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.10.2015 द्वारा संबंधित कर्मचारी को देवास से चोपांकी की, जो लगभग 900 कि.मी. पर स्थानान्तरित किया गया हैं यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की चौथी अनुसूची के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 9ए का उल्लंघन है और मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और उत्पीड़क है। इस तरह के स्थानांतरण से, "कामगार" के रूप में उनकी स्थिति "पर्यवेक्षक" में बदल जाएगी। इसके बाद ऐसे बदलाव से चोपांकी में उनके स्थानान्तरण और पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के बाद वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के

लाभकारी प्रावधानों से वंचित हो जाएंगे और इसलिए, सेवा शर्तों/सेवा की प्रकृति में बदलाव किया जाएगा। यहां तक कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और अधिनिर्णय के साथ-साथ एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से भी, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता/नियोक्ता नौ के स्थानांतरण को उचित ठहराने में विफल रहा है। देवास से चोपांकी तक के कर्मचारी, जो 900 किलोमीटर की दूरी पर है। और वह भी उनके सेवा जीवन के अंतिम चरण में। श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक पहलू पर विस्तार से विचार किया गया है। [पैरा 7.4,7.5] [793-जी-एच; 794-ए-डी]

1.3 अब, जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन है कि जहाँ तक स्थानान्तरण का संबंध है, यह सेवा शर्तों का हिस्सा है और इसलिए धारा 9ए लागू नहीं होगी, इसमें कोई सार नहीं है। सवाल केवल स्थानांतरण का नहीं है, सवाल इसके स्थानांतरण के परिणामों का है। वर्तमान मामले में, कार्य/सेवा शर्तों की प्रकृति में बदलाव किया जाएगा और हस्तांतरण के परिणामों के परिणामस्वरूप सेवा शर्तों में बदलाव होगा और देवास कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में कमी होगी, जिसके लिए चौथी अनुसूची और धारा 9ए को आकर्षित किया जाएगा। [पैरा 7.8] [794-जी-एच; 795-ए-बी]

अशोक के. झा और अन्य। वी. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड और अन्र, **(2009) 10 एस.सी.सी. 584: [2009] 13 एस.सी.आर. 886**; शैलेंद्र कुमार बनाम। संभागीय वन अधिकारी और अन्र. **(2017) एस.सी.सी. ऑनलाइन एमपी 1514;** योगेंद्र सिंह चौहान बनाम प्रबंध निदेशक, इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और एन.आर., **2021 का डब्लू.ए. नं. 46;** मध्य राज्य प्रदेश और अन्र बनाम पातिराम, **2019 का डब्लू.ए. सं. 1932 (2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम.पी. 3660);** मुरारी लाल छारी और ओ.आर.एस. बनाम मुनीश्वर सिंह तोमर और अन्र। **डब्लू.ए. नं. 1191 में 2019 का (2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 4559)**; अध्यक्ष बनाम निदेशक, राजस्थान पत्रिका प्रा. लिमिटेड, **2015 का डब्लू.पी. नं.12934 (2015 (4) एम. पी. एल. जे. 595);** हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम राम मोहन राय और अन्य **(1973) 4 एस.सी.सी. 141: [1973] 3 एस.सी.आर. 924;** हरमोहिंदर सिंह बनाम खरगा कैंटीन, अंबाला कैंट., **(2001) 5 एस.सी.सी. 540: [2001] 3 एस.सी.आर. 796;**

कपारो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड बनाम उम्मेद सिंह लोदी

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम संबद्ध सीमेंट कर्मचारी संघ

2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन बम 2132 - संदर्भित किया गया है

मामला कानून संदर्भ

[2009] 13 एससीआर 886	**पैरा 4.3**	**संदर्भित किया गया है**
[1973] 3 एससीआर 924	**पैरा 4.7**	**संदर्भित किया गया है**
[2001] 3 एससीआर 796	**पैरा 4.7**	**संदर्भित किया गया है**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील नं. 5829-5830 का 2021

उच्च न्यायालय के दिनांक 19.06.2019 निर्णय और आदेश से 2019 के मध्य प्रदेश No.245 में मध्य प्रदेश के इंदौर में।

सिविल अपील सं0 5831-5832, 5845-5846, 5843-5844, 5841-5842, 5839-5840, 5837-5838, 5835-5836 और 5833-5834 का 2021

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुनीत सिंह बिंद्रा, सौरभ प्रकाश, नीरज कुमार, सुश्री सिमरान जीत, उत्सव जैन, अनंत आदित्य पात्रो, अक्षय गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था -

एम.आर.शाह, जे.

1. चूंकि इसमें कानून और मुद्दों का आम सवाल उठाया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होने वाली अपीलों का समूह, इन सभी अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है और उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मध्य प्रदेश पीठ द्वारा 2019 के मध्य प्रदेश में पारित निर्णय और आदेश और अन्य संबद्ध याचिकाएं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-नियोक्ता (जिसे इसके बाद "नियोक्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिकाओं को खारिज कर दिया है और श्रम न्यायालय, देवास द्वारा पारित संबंधित निर्णय और पुरस्कार की पुष्टि की है, जिसके द्वारा श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थियों-कर्मचारियों के पक्ष में उक्त संदर्भ की अनुमति दी है, उनके दिनांकित स्थानांतरण के आदेश को अवैध और अमान्य घोषित करके, नियोक्ता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंः

3.1 यह कि संबंधित कामगार अपीलार्थी के देवास कारखाने में कार्यरत और काम कर रहे थे। उस दिनांक 13.01.2015 के आदेश के अनुसार, उन सभी को चोपांकी, जिला अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि 900 किलोमीटर है। देवास से दूर संबंधित श्रमिकों ने अपने संघ के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष औद्योगिक विवाद उठाया और सुलह कार्यवाही की विफलता पर श्रम न्यायालय का संदर्भ दिया गया। निम्नलिखित प्रश्न श्रम न्यायालय को भेजा गया था ।

"क्या अन्य-आवेदक द्वारा श्री कन्हैयालाल का स्थानांतरण वैध और उचित है? यदि नहीं, तो उसे क्या राहत दी जा सकती है और इसमें संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए।

"प्रत्येक श्रमिक के संबंध में इसी तरह के विवाद का उल्लेख किया गया था।

3.2 संबंधित श्रमिकों ने श्रम न्यायालय के समक्ष अपने दावे का विवरण दाखिल किया। यह श्रमिकों की ओर से मामला था कि देवास कारखाने में श्रमिकों की संख्या को कम करने के इरादे से से स्थानांतरण दुर्भावना पूर्ण तरीके से किया गया था; नियोक्ता ने श्रमिकों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला और इनकार करने पर, नियोक्ता ने उन्हें बिना किसी उचित कारण के राजस्थान के चोपांकी में स्थानांतरित कर दिया, जो कि 900 किलोमीटर दूर है। इस तरह का हस्तांतरण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9ए (जिसे इसके बाद आई. डी. के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत अवैध परिवर्तन के समान है कि परिवार के सभी सदस्य और उनके रिश्तेदार देवास में रह रहे हैं और जो सुविधाएं देवास में उपलब्ध हैं, वे चोपांकी में उपलब्ध नहीं है और चोपांकी में 40-50 किलोमीटर के दायरे में न कोई आवासीय क्षेत्र है और न ही परिवहन का कोई साधन उपलब्ध है और चोपांकी कारखाने में भी उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। संबंधित श्रमिकों की ओर से यह भी मामला था कि देवास में प्रिसिजन पाइपों का निर्माण किया जाता है, जबकि चोपांकी में, नट और बोल्ट के निर्माण का काम किया जाता है और हस्तांतरण से काम की प्रकृति बदल जाएगी, इसलिए, हस्तांतरण को अवैध और शून्य घोषित करने का अनुरोध किया गया ।

3.3 नियोक्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष दावे के बयान का जवाब दाखिल किया। यह विशेष रूप से अस्वीकार किया गया था कि स्थानांतरण देवास में श्रमिकों की संख्या को कम करने के लिए किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई अनुचित श्रम प्रथा नहीं अपनाई गई थी और आई. डी. अधिनियम की धारा 9ए का अनुपालन आवश्यक नहीं था। इस बात से भी इनकार किया गया कि श्रमिकों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया था। एक याचिका दायर की गई थी कि चूंकि देवास में उत्पादन में लगातार कमी आ रही थी और कर्मचारी अधिशेष हो गए थे, जिसकी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, संबंधित श्रमिकों के रोजगार को जारी रखने के लिए, उन्हें उनकी सेवा शर्तों के अनुसार स्थानांतरित

कर दिया गया था और आई. डी. अधिनियम की धारा 9ए के तहत इस संबंध में किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी। यह भी कहा गया कि चोपांकी कारखाने में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

3.4 दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया। कर्मचारियों ने उनके मामले/याचिका के समर्थन में पीडब्लू-1, कन्हैया लाल और पीडब्लू-2, विजय प्रताप सिंह राणावत की जांच की और नियोक्ता ने डीडब्ल्यू-1 मनोज ठक्कर, डीडब्ल्यू-2 राजवीर सिंह और डीडब्ल्यू-3 मुकेश कुलश्रेष्ठ की जांच की। दोनों पक्षों ने अपने-अपने मामलों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किए।

3.5 सबूतों की सराहना करने पर, श्रम न्यायालय ने विशेष रूप से पाया कि नियोक्ता यह साबित नहीं कर सका कि देवास कारखाने में उत्पादन में लगातार कमी हो रही थी और कर्मचारी आनुपातिक रूप से अधिशेष हो गए थे। श्रम न्यायालय ने यह भी पाया कि नौ की संख्या में श्रमिकों को स्थानांतरित कर दिया गया था देवास में नियोजित व्यक्तियों की संख्या को कम करने के इरादे से और ऐसा कृत्य आई.डी. अधिनियम की अनुसूची 4 के खंड 11 के अंतर्गत आता था और चूंकि परिवर्तन की कोई सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए स्थानांतरण आदेश आई.डी. अधिनियम की धारा 9 ए का उल्लंघन है। श्रम न्यायालय ने विशेष रूप से साक्ष्य की सराहना की कि स्थानांतरण से काम की प्रकृति बदल जाएगी क्योंकि श्रमिक देवास में मजदूरों के रूप में कार्यरत थे और चोपांकी में स्थानांतरण पर, वे पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे । नतीजतन श्रम न्यायालय ने स्थानांतरण के आदेश को अमान्य पाया और परिणामस्वरूप श्रम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया ।

3.6 श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, नियोक्ता प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका दायर की और आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट को खारिज कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उक्त रिट याचिकाओं पर विचार करने वाली याचिकाएं विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की और डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। अपील को यह देखते हुए सुनवाई योग्य नहीं बताया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत थी।

3.7 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और श्रम न्यायालय द्वारा पारित संबंधित निर्णयों और पुरस्कारों की पुष्टि करते हुए दिनांक 13.01.2015 के स्थानांतरण आदेश को अवैध, शून्य और आई.डी. के प्रावधानों का उल्लंघन घोषित किया। अधिनियम, और अधिक विशेष रूप से. आई.डी. की धारा 9ए अधिनियम, प्रबंधन/नियोक्ता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। अपीलकर्ता ने डिवीजन बेंच द्वारा पारित उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें रिट अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता अपीलकर्ता-नियोक्ता की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री नीरज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता संबंधित उत्तरदाताओं - कामगारों की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4.1 प्रबंधन/नियोक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने में गंभीर त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार पुरस्कारों को प्रबंधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्पष्ट रूप से रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाओं में भी प्रार्थना संबंधित पुरस्कारों को रद्द करने और अलग करने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश के लिए थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में शुरुआत में "अनुच्छेद 226" का उल्लेख किया गया था, हालांकि, रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण, अपीलकर्ता को रिट याचिका में संशोधन करने और "संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत" का उल्लेख करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद भी, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट अपील दायर की, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और पुरस्कार को चुनौती दी गई, हालांकि, डिवीजन बेंच ने रिट को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए रिट अपील को खारिज कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाएँ। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाएं थीं, जैसा कि रिट याचिकाओं में की गई सामग्री/कथनों से देखा जा सकता है।

4.3 नियोक्ता जी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है या अनुच्छेद 227 के तहत है, जो देखा जाना है वह लागू क्षेत्राधिकार की प्रकृति है और उसमें जो राहत मांगी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो कारण शीर्षक में

उद्धृत प्रावधान और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय उल्लिखित प्रावधान एच आवेदन और उस पर आदेश की वास्तविक प्रकृति के निर्धारक थे। **अशोक के. झा और अन्य के मामले में इस न्यायालय के** निर्णय पर अत्यधिक निर्भरता रखी गई है। **बनाम गार्डन सिल्क ए मिल्स लिमिटेड और अन्य, (2009) 10 एससीसी 584 (पैराग्राफ 27 से 37)।**

4.4 यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रम न्यायालयों के पुरस्कारों के संदर्भ में कई बाद के निर्णयों में, याचिकाओं को मुख्य रूप से अनुच्छेद 226 के तहत माना गया था, न कि अनुच्छेद 227 के तहत और, इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के अपीलीय क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी था। अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: -

शैलेन्द्र कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी एवं अन्य. (2017) एससीसी ऑनलाइन एमपी 1514; योगेन्द्र सिंह चौहान बनाम. प्रबंध निदेशक, इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य, 2021 का डब्ल्यूए नंबर 46; मध्य प्रदेश राज्य और अन्य. बनाम पतिराम, WA नंबर 1932 ऑफ़ 2019 (2020 SCC ऑनलाइन MP 3660) और मुरारी लाल छारी और अन्य। बनाम मुनीश्वर सिंह तोमर एवं अन्य. 2019 के WA नंबर 1191 में (2019 एससीसी ऑनलाइन एमपी 4559)।

4.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं पर विचार न करने से डिवीजन बेंच के समक्ष अपील करने का नियोक्ता को उपलब्ध मूल्यवान अधिकार छीन लिया गया है। इसलिए, अनुरोध है कि कानून के अनुसार और अपने गुणों के आधार पर रिट अपीलों पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को वापस भेज दिया जाए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि योग्यता के आधार पर भी, श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने स्थानांतरण के आदेश को अवैध और शून्य घोषित करने और आई.डी. की धारा 9 ए का उल्लंघन करने में गलती की है।

4.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रम न्यायालय के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में भौतिक गलती की है कि स्थानांतरण का आदेश सेवा के नियमों और शर्तों में बदलाव के समान है, जिसके लिए धारा 9ए के तहत नोटिस की आवश्यकता होती है और इसके अभाव में, उक्त आदेश उत्तरदायी है। अलग रखा जाए. यह प्रस्तुत किया गया है कि स्थानांतरण का ऐसा आदेश उसकी अनुसूची 4 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 9ए के अर्थ के भीतर सेवा के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं लाता है। राष्ट्रपति बनाम

मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया जाता है। निदेशक, राजस्थान पत्रिका प्रा0 लिमिटेड, 2015 का डब्लू0 पी0 नंबर 12934 (2015 (4) एम 0 पी0 एल 0 जे0 595)।

4.7 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि स्थानांतरण आदेशों पर विचार करते समय अनुसूची 4 का खंड 11 बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उद्देश्य स्थानांतरण आदेश का उद्देश्य संबंधित प्रतिष्ठान में कमी लाना नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 9 ए के अर्थ के तहत सेवा के नियमों और शर्तों में बदलाव के मामले को सामने लाने के लिए, श्रमिकों के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि कटौती से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। राम मोहन रे और अन्य, (1973) 4 एससीसी 141; हरमोहिंदर सिंह बनाम. खरगा कैंटीन, अंबाला कैंट, (2001) 5 एससीसी 540 और बी का निर्णय एसोसिएटेड सीमेंट कंपनियों के मामले में उच्च न्यायालय, मुम्बई लिमिटेड बनाम. एसोसिएटेड सीमेंट स्टाफ यूनियन, 2009 एससीसी ऑनलाइन बॉम 2132 ।

4.8 नियोक्ता की ओर से आगे कहा गया है कि अन्यथा भी विद्वान एकल न्यायाधीश इस तर्क पर विचार करने में विफल रहे हैं कि कर्मचारी कामगार नहीं हैं।

4.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और संबंधित निर्णयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाए। और श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार।

5. इन सभी अपीलों का श्री नीरज शर्मा ने पुरजोर विरोध किया है। संबंधित कामगारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता।

5.1 संबंधित कर्मकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्थानांतरण के आदेश को रोकने में विद्वान श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। दिनांक 13.01.2015 को अवैध, अमान्य और चौथी अनुसूची के साथ पठित एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 ए के प्रावधानों का उल्लंघन है।

5.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2015 के स्थानांतरण आदेश को अवैध, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 ए के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्ष्य की सराहना पर

हैं, जो , उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया है।

5.3 श्रमिकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि 2-3 श्रमिकों को छोड़कर, शेष श्रमिक अपने सेवा कैरियर के अंतिम छोर पर थे और उन्हें एच से चोपांकी में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि दूरी पर है। लगभग 900 कि.मी. यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी संबंधित कर्मियों ने अपने स्थानांतरण के समय लगभग 25 से 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और वे अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव पर थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि उनमें से एक भी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 13.01.2015 के स्थानांतरण आदेश में संबंधित श्रमिकों को देवास से चोपांकी स्थानांतरित किया गया था और वह भी उनके सेवा कैरियर के अंतिम छोर पर एक मनमाना और अनुचित श्रम अभ्यास था, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें श्रमिकों को छोड़ दिया गया था। उनके पास रोजगार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह वास्तव में कानून के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना श्रमिकों को नौकरी से निकालने का एक तरीका था। आगे यह भी कहा गया है कि श्रमिकों का किसी दूसरे राज्य में अचानक स्थानांतरण और वह भी उनके स्थान से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर होने से बहुत कठिनाई होगी क्योंकि जिस स्थान पर उन्हें स्थानांतरित किया गया था, वहां कोई शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं, उनके स्कूल जाने की सुविधा नहीं थी। बच्चों और बूढे माता-पिता को परेशान होना पड़ा और उन्हें उजाड़ना पड़ा और जिस स्थान पर उन्हें स्थानांतरित किया गया था, उसके 40-50 किलोमीटर के भीतर कोई आवासीय क्षेत्र नहीं था। परिवहन के किसी साधन के बिना संयंत्र का निर्माण करें।

5.4 कर्मचारियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, स्थानांतरित कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करके उनका उत्पीड़क करने जैसा है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना करने पर, विद्वान श्रम न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा था कि संबंधित श्रमिक को चोपांकी में स्थानांतरित करना चौथी अनुसूची के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 9 ए का उल्लंघन होगा, जितना कि उन्हें चोपांकी में स्थानांतरित करना होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9ए के तहत कोई नोटिस जारी किए बिना कार्य की प्रकृति में बदलाव करेगा।

5.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि डी.डब्ल्यू-1, मनोज ठक्कर ने भी जिरह में स्वीकार किया था कि संबंधित कर्मचारी को देवास से चोपांकी स्थानांतरित करने से, देवास कारखाने में श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि स्थानांतरित कर्मचारी चोपांकी में पर्यवेक्षक के पद पर काम करेंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित श्रमिक देवास में श्रमिक था और जैसा कि चोपांकी में नियोक्ता के गवाह ने स्वीकार किया था, प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में काम करना होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए श्रमिकों का स्थानांतरण उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों से वंचित करने के समान होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार स्थानांतरित स्थान पर वे पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे, उसके बाद वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के चंगुल से बाहर हो जायेंगे और उन्हें वंचित कर दिया जायेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत परोपकारी प्रावधानों की सुरक्षा। यह प्रस्तुत किया गया है कि डीडब्ल्यू-2, राजबीर सिंह ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि उत्तरदाताओं को श्रमिकों की क्षमता में नियोजित किया गया है, जबकि चोपांकी में स्थानांतरण के बाद, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और पर्यवेक्षक का काम सौंपा जाएगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उपरोक्त कार्य की प्रकृति को बदल देगा।

5.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य, प्रासंगिक श्रम कानून और सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, विद्वान श्रम न्यायालय ने विशेष रूप से माना है कि चूंकि श्रमिकों की सेवा शर्तों में बदलाव किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 ए के तहत कोई भी नोटिस जारी करना, स्थानांतरण का आदेश अवैध, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और उत्पीड़क है, इसलिए, इसे विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी सही पुष्टि की गई है।

5.7 यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष हैं कि उत्तरदाता औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कामगार थे और इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।

5.8 अब, जहां तक अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण की बात है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत थी, न कि अनुच्छेद 227 के तहत और, इसलिए, रिट अपील सुनवाई योग्य होगी, चिंतित है, यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में कारण शीर्षक में, अपीलकर्ताओं ने कहा है कि रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत है और उनकी पूरी रिट याचिका अनुच्छेद 227 के तहत थी। प्रस्तुत किया गया है, इसलिए, कि

अब, इसके बाद, अपीलकर्ता एफ के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि याचिका अनुच्छेद 226 के तहत थीं और इसलिए, रिट अपील सुनवाई योग्य होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश और साथ ही डिवीजन बेंच दोनों ने सही माना है कि याचिकाएं वास्तव में अनुच्छेद 227 के तहत थीं और इसलिए रिट अपील सुनवाई योग्य नहीं थी।

5.9 कामगारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी-कर्मचारियों को स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2015 के बाद से आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और उनके लिए अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करना बहुत कठिन है। परिवार के सदस्य। उपरोक्त दलीलें देते हुए वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना।

7. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वान श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि स्थानांतरण का आदेश दिनांक 13.01.2015 को संबंधित श्रमिक को स्थानांतरित कर दिया गया है। देवास से चोपांकी तक मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, उत्पीड़क, अनुचित श्रम व्यवहार और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन था। साक्ष्यों की सराहना पर, विशेष रूप से, डीडब्ल्यू-1 मनोज ठक्कर के बयान, डीडब्ल्यू-2 राजवीर सिंह के बयान और पीडब्ल्यू-1 के बयान पर विचार करते समय। कन्हैया लाल और पीडब्लू-2, विजय प्रताप सिंह राणावत, विद्वान श्रम न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे:-

(i) यह कि संबंधित उत्तरदाता-कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कर्मकार की श्रेणी में थे और इसलिए, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सुरक्षा के हकदार थे;

(ii) यह कि उन्हें देवास से चोपांकी स्थानांतरित करने से कार्य में बदलाव होगा और इसलिए, सेवा की शर्तों में बदलाव होगा और इसलिए, यह चतुर्थ के खंड 11 के साथ पठित धारा 9 ए का उल्लंघन है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की अनुसूची;

(iii) यह कि नौ कर्मचारियों-कामगारों के तबादले से देवास फैक्ट्री में कर्मचारियों की कमी हो जायेगी;

(iv) यह कि देवास में कामगारों को कर्मकार की हैसियत से नियोजित किया गया था और देवास में प्रिसिजन पाइप बनाने का काम किया जाता है जबकि चोपांकी में नट और बोल्ट बनाने का काम किया जाता है।

7.1 विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर हैं, जिन्हें इस प्रकार विकृत और/या रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। हमने श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का भी बारीकी से अध्ययन किया है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह पता चलता है कि संबंधित उत्तरदाता-कर्मचारी देवास में कार्यरत थे और 25 से 30 वर्षों से अधिक समय से देवास में काम कर रहे थे; उन सभी का अचानक देवास से चोपांकी, जो 900 किलोमीटर की दूरी पर है, स्थानांतरण हो गया। देवास से; उनके सेवा करियर के अंतिम समय में उनका तबादला कर दिया गया; कि जिस स्थान पर उन्हें स्थानांतरित किया गया था वहां कोई शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं और जिस स्थान पर उन्हें स्थानांतरित किया गया था, उसके पास 40-50 किलोमीटर के भीतर कोई आवासीय क्षेत्र नहीं था। परिवहन के किसी साधन के बिना संयंत्र से ।

7.2 यह भी सामने आया है कि देवास कारखाने में श्रमिकों को चोपांकी में स्थानांतरित करने से श्रमिकों की संख्या नौ कम हो गई है। यह भी सामने आया है कि जैसा कि डीडब्ल्यू-1 और डीडब्ल्यू-2 ने स्वीकार किया है, स्थानांतरित बी कर्मचारी चोपांकी में पर्यवेक्षक की क्षमता में काम करेंगे और चोपांकी में उनके स्थानांतरण के बाद, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और पर्यवेक्षक का काम सौंपा जाएगा।

7.3 जैसा कि ऊपर देखा गया है और यहां तक कि विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और यहां तक कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य से भी यह पता चलता है कि देवास में वे सभी 'कर्मचारी' थे जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) में परिभाषित किया गया है और, इसलिए, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षा मिलेगी और चोपांकी में स्थानांतरण के बाद, उन्हें पर्यवेक्षक की क्षमता में काम करना होगा और इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों से वंचित किया जाएगा। अत: देवास से चोपांकी में ऐसे स्थानांतरण पर सेवा शर्तों की प्रकृति एवं कार्य

की प्रकृति बदल जायेगी, अतः ऐसी स्थिति में चतुर्थ अनुसूची के साथ पठित धारा 9ए लागू होगी। धारा 9ए और चौथी अनुसूची इस प्रकार है:-

9ए परिवर्तन की सूचना- कोई भी नियोक्ता, जो चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव करता है, ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा, -

(ए) ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना वाले श्रमिक को प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति की निर्धारित तरीके से सूचना दिए बिना; या

(बी) ऐसा नोटिस देने के इक्कीस दिनों के भीतर:

बशर्ते कि किसी भी प्रभाव के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी ।

ऐसा परिवर्तन-

(ए) जहां परिवर्तन किसी समझौते के अनुसरण में किया जाता है या पुरस्कार; या

(बी) जहां परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना वाले श्रमिक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए मौलिक और पूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, संशोधित अवकाश नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा में नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम या भारतीय रेलवे स्थापना संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम जो आधिकारिक राजपत्र में उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जा सकते हैं, लागू होते हैं।

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 9ए देखें)

सेवा की शर्तें जिनमें परिवर्तन के लिए सूचना दी जानी है, दिया गया

1. वेतन, भुगतान की अवधि और तरीके सहित;
2. नियोक्ता द्वारा किसी भविष्य निधि या पेंशन निधि में या उस समय लागू किसी भी कानून के तहत श्रमिकों के लाभ के लिए भुगतान किया गया या देय योगदान;
3. प्रतिपूरक एवं अन्य भत्ते;
4. काम के घंटे और आराम के अंतराल;
5. वेतन और छुट्टियों के साथ छुट्टी;

6. स्थायी आदेशों के अनुसार काम करने वाली शिफ्ट में बदलाव शुरू करना या बंद करना;

7. ग्रेड द्वारा वर्गीकरण;

8. किसी भी प्रथागत रियायत या विशेषाधिकार को वापस लेना या उपयोग में परिवर्तन;

9. अनुशासन के नए नियमों का परिचय, या मौजूदा में परिवर्तन और नियम, सिवाय इसके कि जहां तक वे स्थायी आदेशों में प्रदान किए गए हैं;

10. संयंत्र या तकनीक का युक्तिकरण, मानकीकरण या सुधार जिससे श्रमिकों की छँटनी होने की संभावना है;

11. किसी व्यवसाय या प्रक्रिया या विभाग या शिफ्ट में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई भी वृद्धि या कमी (आकस्मिक के अलावा), उन परिस्थितियों के कारण नहीं, जिन पर नियोक्ता का कोई नियंत्रण नहीं है।

7.4 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से, यह सही माना जाता है कि स्थानांतरण का आदेश दिनांक 13.01.2015 को संबंधित श्रमिक को देवास से चोपांकी में स्थानांतरित कर दिया गया, जो लगभग है 900 किमी दूर, चौथी अनुसूची के साथ पठित धारा 9ए का उल्लंघन है । औद्योगिक विवाद अधिनियम मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और उत्पीड़ककारी है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस तरह के स्थानांतरण से, "कर्मचारी" के रूप में उनकी स्थिति "पर्यवेक्षक" में बदल जाएगी। चोपांकी में उनके स्थानांतरण के बाद और पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के बाद इस तरह के बदलाव से वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों से वंचित हो जाएंगे और इसलिए, सेवा शर्तों/सेवा की प्रकृति बदल जाएगी ।

7.5 यहां तक कि विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से भी, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता/नियोक्ता नौ कर्मचारियों को देवास से चोपांकी में स्थानांतरित करने का औचित्य साबित करने में विफल रहा है, जो कि 900 किलोमीटर की दूरी पर है, और वह भी उनके सेवा करियर के अंतिम पड़ाव पर है। प्रत्येक पहलू को विद्वान श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विस्तार से निपटाया और विचार किया गया है।

7.6 अब, जहां तक अपीलकर्ता की ओर से यह दलील है कि संबंधित कामगार-कर्मचारी 'कर्मचारी' नहीं थे और इसलिए, विद्वान श्रम न्यायालय का संदर्भ कायम रखने योग्य नहीं था, इसमें कोई दम नहीं है। विद्वान श्रम न्यायालय के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं कि संबंधित कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) की परिभाषा के भीतर 'कर्मचारी' थे। गवाहों, पी.डब्लू.-1, ई पी.डब्लू.-2, डी.डब्लू.-1 और डी.डब्लू.-2 के बयानों से, यह स्थापित और साबित हुआ है कि संबंधित कर्मचारी 'कर्मचारी' थे और चोपांकी में उनके स्थानांतरण के बाद, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वे पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे।

7.7 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सुलह विफल होने के बाद, विवाद, जिसे विद्वान श्रम न्यायालय एफ को भेजा गया था, "क्या स्थानांतरण वैध और उचित है?" यह विवाद कि संबंधित कर्मचारी "कर्मचारी" है या नहीं, इसे विद्वान श्रम न्यायालय में भी नहीं भेजा गया था। यहां तक कि ऐसा कोई मुद्दा विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया था। जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, यह स्थापित किया गया है और साबित कर दिया कि संबंधित कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) की परिभाषा के भीतर 'कर्मचारी' थे और इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षा के हकदार थे।

7.8 अब, जहां तक अपीलकर्ता की ओर से यह कहना कि जहां तक स्थानांतरण का सवाल है, यह सेवा शर्तों का हिस्सा है और इसलिए धारा 9ए लागू नहीं होगी, इसमें कोई दम नहीं है। सवाल सिर्फ तबादले का नहीं है, सवाल है स्थानांतरण के परिणामों के बारे में. वर्तमान मामले में, कार्य/सेवा शर्तों की प्रकृति बदल जाएगी और स्थानांतरण के परिणामों के परिणामस्वरूप सेवा शर्तों में बदलाव होगा और देवास कारखाने में कर्मचारियों की कटौती होगी, जिसके लिए चौथी अनुसूची और धारा 9 ए लागू होगी।

7.9 अब, जहां तक अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण का सवाल है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 227 के तहत याचिका(याचिकाओं) को गलत माना है और इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश को याचिका(याचिकाओं) पर विचार करना चाहिए था अनुच्छेद 226 के तहत, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट

अपील को कायम रखा जा सकता था, चिंतित है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वाद शीर्षक में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विशेष रूप से अनुच्छेद 227 का उल्लेख किया गया है। यहां तक कि प्रार्थना खंड में भी उत्प्रेषण की कोई रिट नहीं मांगी गई है। प्रार्थना केवल विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार को रद्द करने और रद्द करने के लिए है और इसलिए, तथ्य की स्थिति में, डिवीजन बेंच ने रिट अपील को खारिज कर दिया है क्योंकि यह रखरखाव योग्य नहीं है। ऐसा हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए भी, यह मानते हुए कि हम इस प्रस्तुति को स्वीकार करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका को अनुच्छेद 226 के तहत माना जाना चाहिए था और रिट अपील को तथ्यों और परिस्थितियों में कायम रखा जाना चाहिए था। मामला और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए डिवीजन बेंच को भेजने के बजाय, हमने स्वयं, इस तथ्य पर विचार करते हुए पूरे विवाद/मुद्दों को गुण-दोष के आधार पर तय किया है कि स्थानांतरण का आदेश 2015 का है और अधिकांश कर्मचारियों का अब तक हो चुका है। सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और यह कहा गया है कि उन्हें 2015 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए, हमने स्वयं, सभी मुद्दों को गुण-दोष के आधार पर तय किया है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हमें उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। हम विद्वान श्रम न्यायालय के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.01.2015 को दिए गए स्थानांतरण के आदेश के साथ संबंधित श्रमिक को देवास से चोपांकी, जो कि उनके स्थान से लगभग 900 किलोमीटर दूर है, स्थानांतरित करने के विचार से पूरी तरह सहमत हैं। जहाँ से वे अवैध, दुर्भावनापूर्ण और औद्योगिक विवाद अधिनियम की चौथी अनुसूची के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 9ए का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे थे।

8.1 परिणामस्वरूप, ये सभी अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। अपीलकर्ता को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है । विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय और पुरस्कार की उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई। सभी संबंधित कामगार बकाया वेतन आदि सहित परिणामी

लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि उन्हें देवास से स्थानांतरित नहीं किया गया था और देवास में काम करना जारी रखा था और जो भी लाभ उपलब्ध हो सकते हैं । संबंधित श्रमिकों को बकाया वेतन/मजदूरी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि का भुगतान आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा। इन सभी अपीलों को तदनुसार लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जो प्रत्येक श्रमिक के लिए 25,000/- रुपये निर्धारित की गई है, जिसे आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जाना है।

देविका गुजराल अपील खारिज।

नीरजा आश्री